(भारत के राजपत्र, भाग-।, खंड-। में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 2005

संकल्प

16 NOV 2005

संख्या 14034/17/2005-रा.भा.(प्रशि.) - संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 4 (4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवम्बर 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-रा.भा.(घ) के द्वारा सूचित किए गए थे । उस संकल्प के पैरा 5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संकल्प संख्या 14034/4/99-रा.भा. (प्रशि0) दिनांक 13.02.2001 के तहत यह आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात" क", " ख" एवं" ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2005 के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।

उक्त संकल्प में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात" क", " ख" एवं" ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2008 के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।

(मदन लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कौंसिल आफ इंडिया को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(मदन लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद ।